न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 224/2017/75 एलआर एक्ट

1. धर्मा (पुत्री स्व0 श्रीमती जानी) धर्मपत्नि श्री पालाराम, आयु 45 वर्ष, जाति बावरी, निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कालती (पुत्री स्व0 श्रीमती जानी) धर्मपत्नि श्री स्व0 श्री आत्माराम, आयु 43 वर्ष जाति बावरी निवासी खेतपाल तहसील रानीया जिला सिरसा।
3. माया (पुत्री स्व0 श्रीमती जानी) धर्मपत्नि श्री वीरू राम आयु 35 वर्ष जाति बावरी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27.04.2017 न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ बमुकदमा विविध क्रमांक–एफ.5 (9) (1) एआरएओ/01/1080 दिनांक 27.04.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–01.04.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा एक पत्र क्रमांक एफ.5 (9) (1) एआरएओ/01/1080 दिनांक 27.04.2017 द्वारा अपीलांट की माता जानी धर्मपत्नि स्व0 श्री ओमप्रकाश को राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के अन्तर्गत अन्तोदय योजना के अन्तर्गत चक 9 केएचआर तहसील टिब्बी कि कुल 5 बीघा भूमि को तहसीलदार परियोजना में आवंटन हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण आवंटन आदेश भू.अ./178/7 दिनांक 11.09.

राजस्व अपील प्राधिकारी

1979 को अमान्य होने के कारण कोई अग्रिम कार्यावाही होना संभव नहीं माना गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की माता जानी बेवा ओमप्रकाश विधवा होने के कारण अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन होने के कारण विवादग्रस्त 5 बीघा भूमि आवंटन की गई थी । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 1978 में क्लॉज जोड़कर भाखड़ा प्रोजेक्ट आवंटन नियम 1955 में प्रावधान किया गया। इस योजना के अधीन दो विधवाओं का चयन कर आवंटन किया गया, उनमें से एक गोमती बेवा हंसराज एवं दुसरी जानी बेवा ओमप्रकाश थी। अभियान में आवंटन होकर आवंटन की पुष्टि के लिए उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ को पत्र जारी किया गया। आदेश की अनुपालना में इतकाल दर्ज होकर भूमि को गैर खातेदार दर्ज किया गया। उपखण्डाधिकारी टिब्बी की अनुशंसा भी की गई । आवंटन की औपचारिक पुष्टि आपेक्षित थी तथा सनद जारी होना बाकी था, भूमि के आवंटन के अनुमोदन का विधिक दायित्व तत्कालीन उपजिलाधीश हनुमानगढ़ का था। उनके द्वारा मात्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने मात्र से यह आवंटन अवैध होना नहीं माना जा सकता था। अपीलांट का भूमि आवंटन की पात्रता को जिला कलक्टर द्वारा नकारा नहीं गया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलटी पार्ट ।। पेज 422 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश उचित है। अपीलांट ने मूल आवंटन आदेश अपील में संलग्न नहीं किया। अधीनस्थ न्यायलाय की आवंटन पत्रावली संलग्न नहीं है। जो दस्तावेज संलगन हैं वो भी प्रमाणित नहीं हैं। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने 21.04.2017 जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को पत्र लिख कर प्रार्थीया जानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अग्रेषित करते हुऐ चक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 केएचआर की तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 11.01.1979 द्वारा आवंटित 5 बीघा भूमि, जिसमें प्रार्थीया को आवंटित भूमि की खातेदारी सनद दी जानी थी, हेतु मार्गदर्शन मांगा। जिला कलक्टर ने अपने पत्र एफ.5 (9) (1) एआरएओ/01/1080 दिनांक 27.04.2017 द्वारा परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन हेतु सहायक उपनिवेशन आयुक्त तथा राजस्व क्षेत्र में उपखण्डाधिकारी को कृषि भूमि आवंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी माना है तथा इस प्रकरण में तहसीलदार टिब्बी द्वारा आवंटन होने के कारण आवंटन आदेश भु.अ./178/7 दिनांक 11.09.1979 अमान्य मानते हुए प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव होना नहीं माना है। प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का विकल्प स्वतंत्र रखा है। इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन मांगने पर जिला कलक्टर द्वारा अपने पत्र से उपखण्ड अधिकारी को मार्गदर्शन देते हुए अपना मत प्रकट किया है, जिसमें कोई विधिक त्रूटि नहीं है। यह किसी आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। यह पत्र एक प्रशासनिक पत्राचार की श्रेणी में आता है। जिला कलक्टर द्वारा अपीलाण्ट के आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि उसके लिए वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का विकल्प खुला रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। चूंकि मूल आवंटन आदेश की पत्रावली उपलब्ध नहीं है अतः अपीलाण्ट/प्रार्थी अपने आवंटन के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है। अपीलाण्ट/प्रार्थी अपने पास उपलब्ध आवंटन से संबंधित दस्तावेजात के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01/4/19

(मूल चन्द) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official